**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**मोहम्मद इमरान खान**

**बनाम**

**बिहार राज्य एवं अन्य**

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 11890

31 अगस्त, 2023

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)**

## विचार के लिए मुद्दा

क्या निदेशक, छात्र एवं युवा, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिनांक 04.09.2012 का पत्र, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज किया गया है, सही है या नहीं?

## हेडनोट्स

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-अस्वीकृत/अस्वीकृति-याचिकाकर्ता के पिता की ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी-याचिकाकर्ता के पिता राष्ट्रीय कैडेट कोर में ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे-याचिकाकर्ता की मां ने अपने सबसे छोटे बेटे की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला-याचिकाकर्ता मृतक कर्मचारी का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने के संबंध में कोई सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

**अभिनिर्धारित:** मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अनुकंपा आधारित रोजगार के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था—मृतक कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 29 वर्ष बीत जाने के बाद रिट याचिका दायर की गई थी, जो विलंब और अनियमितताओं से ग्रस्त है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती—अनुकंपा आधारित रोजगार कोई निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सके—अनुकंपा आधारित रोजगार का उद्देश्य मृतक के परिवार को एकमात्र कमाने

वाले की मृत्यु के समय आने वाले तत्काल वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, इसलिए काफी समय बीत जाने और संकट समाप्त हो जाने के बाद अनुकंपा आधारित रोजगार का दावा और प्रस्ताव नहीं किया जा सकता—इस समय याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती, इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

**(अनुच्छेद 3 से 6)**

## न्याय दृष्टान्त

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, **(1994) 4 एसएससी 138**—पर भरोसा किया गया।

## अधिनियमों की सूची

सेवा कानून

## मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति, विलम्ब और लापरवाही, अनुकंपा रोजगार एक निहित अधिकार नहीं है।

## प्रकरण से उत्पन्न

निदेशक, छात्र एवं युवा, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.09.2012 से, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया।

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री विजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री अनिर्बान कुंडू, एस.सी.-24।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

## माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2015 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11890**

==========

मो. इमरान खान, पिता- स्वर्गीय जमील अख्तरखान, निवासी- कमरा संख्या 1 हजरत बिला मस्जिद, समनपुरा, थाना- शास्त्रीनगर, जिला-पटना।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, बिहार, पटना ।
2. प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग, नया सचिवालय, पटना।
3. उप सचिव सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग, नया सचिवालय, पटना।
4. जिला-सह-उप सचिव, छात्र एवं युवा कल्याण विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग, नया सचिवालय, पटना।
5. जिला अनुकंपा समिति, जिला दंडाधिकारी के माध्यम से, पटना ।
6. महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, राजेंद्र पथ, पटना-800019।
7. महानिदेशक के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, राजेंद्र पथ, पटना।
8. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय राजेंद्र पथ, पटना-800019।
9. कमांडिंग ऑफिसर, राष्ट्रीय कैडेट कोर समूह मुख्यालय राजेंद्र नगर, पटना-800016।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

**उपस्थितिः**

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री विजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिएः श्री अनिर्बान कुंडू, वरिष्ठ अधिवक्ता -24

==========

**कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह**

**मौखिक निर्णय**

**दिनांकः 31-08-2023**

1. वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के लिए उत्तरदाता प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए दायर की गई है, और इसलिए निदेशक, छात्र एवं युवा, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, द्वारा जारी दिनांक 04.09.2012 के पत्र को रद्द किया जाए, जिससे और जिसके तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पिता राष्ट्रीय कैडेट कोर समूह मुख्यालय, राजेंद्र नगर पटना में एक चालक के रूप में काम कर रहे थे और दिनांक 02.09.1986 को, जब वह ड्यूटी पर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता की माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे की ओर से दिनांक 07.04.1987 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, हालांकि, तत्पश्चात तीन वर्ष के अंतराल के बाद, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय ने याचिकाकर्ता की माँ को सेवानिवृत्ति लाभ और पारिवारिक पेंशन के भुगतान का निर्देश दिया, जिसका भुगतान बाद में कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जब याचिकाकर्ता 18 वर्ष का हो गया था, तब उसकी माँ ने फिर से याचिकाकर्ता को अनुकंपा पर नियुक्ति दिए जाने के लिए आवेदन किया था, हालांकि, इसे, कला, संस्कृति और युवा विभाग, बिहार सरकार, पटना के सरकार के उप सचिव द्वारा जारी किए गए दिनांक 19.10.2001 के पत्र के

माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की माँ ने अपने पति की मृत्यु के समय अपने बेटे की आयु 30 वर्ष बताई थी, आवश्यक प्रारूप में कभी कोई आवेदन नहीं दिया गया था, मृतक कर्मचारी के पांच बच्चे थे, हालाँकि, याचिकाकर्ता की माँ ने केवल याचिकाकर्ता के बारे में खुलासा किया था कि वह उसका बेटा है और इसके अलावा, मृतक कर्मचारी का बड़ा बेटा, अर्थात् समसुल होड्डा ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए दिनांक 03.11.1992 को एक आवेदन दिया था, जो कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के छह साल बीतने के बाद है, जो समय वर्जित है क्योंकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र, दिनांक 25.05.1989, मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 5 साल निर्धारित करता है। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने कई अभ्यावेदन दायर किए हैं और अंत में निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार पटना ने दिनांक 04.09.2012 के पत्र के माध्यम से निर्णय लिया था कि चूंकि याचिकाकर्ता का अनुकंपा रोजगार देने का आवेदन पांच साल की सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ था, इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

3. *इसके विपरीत,* उत्तरदाता-राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा है कि मृतक कर्मचारी, स्वर्गीय श्री जमील अख्तर खान के तीन बेटे और दो बेटियां थीं, हालांकि, याचिकाकर्ता की माँ ने केवल याचिकाकर्ता का ही संदर्भ दिया था जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच इस बात पर कोई आम सहमति नही है कि किसे अनुकंपा रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के पांच साल की अवधि के भीतर, निर्धारित प्रारूप में अनुकंपा रोजगार के अनुदान के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, जो अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन दायर करने की सीमा अवधि है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि

याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है कि वह स्वर्गीय जमील अख्तर खान का बेटा है और वह उक्त मृत कर्मचारी का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है। वास्तव में, पहला आवेदन, जिसे याचिकाकर्ता की माँ द्वारा अनुकंपा रोजगार के लिए प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 03.11.1992 का है, जो समय सीमा से बाहर है।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया है जिससे एक बात स्वीकार की जाती है कि मृतक कर्मचारी की हत्या, जब वह ड्यूटी पर था, दिनांक 02.09.1986 को हुई थी, यानी लगभग 37 वर्ष पहले और याचिकाकर्ता की उम्र इस समय लगभग 51 वर्ष है। यह भी विवादित नहीं है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पांच साल की निर्धारित अवधि के भीतर अनुकंपा रोजगार के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिका मृतक कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 29 वर्ष बीत जाने के बाद वर्ष 2015 में दायर की गई है, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह विलंब और लापरवाही से प्रभावित है, इसलिए याचिकाकर्ता को इस समय कोई राहत नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि वह मृतक कर्मचारी स्वर्गीय जमील अख्तर खान का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी होने के बारे में कोई सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, यह एक सुस्थापित कानून है कि अनुकंपा रोजगार एक निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि अनुकंपा रोजगार का उद्देश्य मृतक के परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, इसलिए काफी समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद अनुकंपा रोजगार का दावा और पेशकश नहीं की जा सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1994 (4) एस. एस. सी. 138** में प्रतिवेदित, के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

5. यह न्यायालय यह अवलोकन करना भी उचित समझता है कि यदि किसी भी आवेदन पर लंबी अवधि के बाद विचार किया जाता है, तो न केवल मौजूदा रिक्तियों को नियमित रोजगार द्वारा भरा जा सकता है, बल्कि इसी तरह के अन्य मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां मृतक कर्मचारी के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके तत्काल राहत दी जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए विचारणीय बात यह है कि संकटग्रस्त परिवार को राहत कब प्रदान की जाए, न कि आश्रितों में से किसी एक के लिए नौकरी आरक्षित करने की।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर उल्लेखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को इस समय कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज हो जाती है।

**(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)**

सौरभ/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**